

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में

श्रीमान जनपद न्यायाधीश ।
झाँसी ।

विषय:-

दिनांक 05. 05. 2022 को प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र तीन (03) प्रतियों की पावती
प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रदान न किये जाने के संबंध में ।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 05. 05. 2022 को अवमानना की कार्यवाही किये
जाने के बावत अवमानना प्रार्थनापत्र तीन (03) प्रतियों में प्रेषित किया गया, जिसकी कोई पावती प्रशासनिक
अधिकारी द्वारा नहीं दी गयी । इस संबंध में मेरे द्वारा एक पत्र आज दिनांक 06. 05. 2022 को प्रेषित किया गया,
जिसे प्रशासनिक अधिकारी ने लेने से इंकार कर दिया ।

अतः आपसे निवेदन है कि इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी जानकी प्रसाद के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें तथा मेरे द्वारा प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र को मात्र उच्च न्यायालय
अग्रसारित किये जाने की कृपा करें तथा अग्रसारण किये जाने की सूचना मुझ न्यायिक अधिकारी को प्रदान करने
की कृपा करें ।

सूचना सादर प्रेषित ।

भवदीय


(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 06. 05. 2022

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

संलग्नक:

1. दिनांक 06. 05. 2022 को प्रेषित पत्र की मूल प्रति (01) ।

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश ।
झाँसी ।

विषय:- दिनांक 05. 05. 2022 को प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र तीन (03) प्रतियों की पावती प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रदान न किये जाने के संबंध में ।


महोदया

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 22. 02. 2022 से दिनांक 24. 02. 2022 तक सन्तोष कुमार दोहरे, रमेश यादव व चन्द्र शेखर शुक्ला द्वारा न्यायालय पर दबाव बनाने के लिये न्यायालय परिसर में धरना-प्रदर्शन, शोर शराबा व नारेबाजी की गयी । इस संबंध में माहू उच्च न्यायालय में कार्यवाही किये जाने हेतु मेरे द्वारा 250 अद्द कागज प्रदान करने हेतु श्रीमान जी को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके अनुक्रम में मेरे द्वारा दिनांक 05. 05. 2022 को प्रत्यावेदन डाकबही में चढ़वाकर प्रशासनिक कार्यालय भिजवाया गया, किन्तु प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कोई पावती नहीं दी गयी, बल्कि डाकबही को भी अपने कार्यालय में रख लिया ।

मेरे द्वारा प्रेषित पत्रों की पावती प्रशासनिक अधिकारी जानकी प्रसाद द्वारा न देने के संबंध में मेरे द्वारा श्रीमान जी को पूर्व में अवगत कराया जा चुका है, किन्तु उसके पश्चात भी उक्त प्रशासनिक अधिकारी मेरे द्वारा प्रेषित पत्रों की पावती नहीं देते हैं ।

सूचना सादर प्रेषित ।

भवदीय


०६.०५.२०२२
(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

दिनांक- 06. 05. 2022

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश ।
झाँसी ।

विषय:- दिनांक 05. 05. 2022 को प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित किये जाने के संबंध में ।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 05. 05. 2022 को अवमानना की कार्यवाही किये जाने के बावत अवमानना प्रार्थनापत्र तीन (03) प्रतियों में प्रेषित किया गया । उक्त अवमानना प्रार्थनापत्र अभी तक मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित नहीं हुआ है और न ही अग्रसारित पत्रांक की प्रति मुझे प्राप्त हुई है ।

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि अवमानना प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित करने की कृपा करें तथा अग्रसारित पत्रांक की प्रति मुझे प्रदान करने की कृपा करें तथा मेरे द्वारा प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र दिनांकित 05. 05. 2022 की पावती न देने व दिनांक 06. 05. 2022 को प्रेषित प्रार्थनापत्र को प्राप्त करने से इंकार करने पर प्रशासनिक अधिकारी जानकी प्रसाद के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें ।

भवदीय


०९.०५.२०२२

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

दिनांक- 09. 05. 2022

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश।
झाँसी।

विषय:- दिनांक 05. 05. 2022 को प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय
अग्रसारित किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ 1. मेरे द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 06. 05. 2022 व
2. मेरे द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 09. 05. 2022.

महोदया

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 05. 05. 2022 को अवमानना की कार्यवाही
किये जाने के बावत अवमानना प्रार्थनापत्र तीन (03) प्रतियों में प्रेषित किया गया। उक्त अवमानना प्रार्थनापत्र
अभी तक मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित नहीं हुआ है और न ही अग्रसारित पत्रांक की प्रति मुझे प्राप्त हुई है।
इस बावत मेरे द्वारा दिनांक 06. 05. 2022 व दिनांक 09. 05. 2022 को पत्र भी प्रेषित किया गया और
महोदया से निवेदन किया गया कि उक्त अवमानना प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय को अग्रसारित करने की कृपा
करें व अग्रसारित पत्रांक की एक प्रति मुझे अधोहस्ताक्षरी को प्रदान करने की कृपा करें, किन्तु अत्यन्त खेद का
विषय है कि मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र अभी तक मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित
नहीं हुआ है और न ही अग्रसारित पत्रांक की प्रति मुझे प्राप्त हुयी है।

अतः महोदया से पुनः निवेदन है कि अवमानना प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित
करने की कृपा करें तथा अग्रसारित पत्रांक की प्रति मुझे प्रदान करने की कृपा करें।

भवदीय


11/05/2022

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

दिनांक- 11. 05. 2022

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश ।
झाँसी ।

विषय:- मेरे द्वारा प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र दिनांकित 05. 05. 2022 पर जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की आख्या दिनांकित 06. 05. 2022 के संबंध में ।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 05. 05. 2022 को अवमानना की कार्यवाही किये जाने के बावत अवमानना प्रार्थनापत्र तीन (03) प्रतियों में मय संलग्नक प्रेषित किया गया था, जिसे अग्रसारित न किये जाने पर मेरे द्वारा दिनांक 09. 05. 2022 को श्रीमान जी को पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु उक्त अवमानना प्रार्थनापत्र दिनांक 09. 05. 2022 को भी अग्रसारित नहीं हुआ, तत्पश्चात मेरे द्वारा दिनांक 11. 05. 2022 को पुनः श्रीमान जी को एक पत्र प्रेषित किया गया और निवेदन किया गया कि मेरे द्वारा प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र को मात्र उच्च न्यायालय को अग्रसारित कर अग्रसारित पत्रांक की प्रति मुझे अधोहस्ताक्षरी को प्रदान करने की कृपा करें, किन्तु दिनांक 11. 05. 2022 तक अग्रसारित पत्रांक की प्रति मुझे प्राप्त नहीं करायी गयी । दिनांक 12. 05. 2022 को समय 13:30 बजे मेरे द्वारा प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र पर पत्रांक 1262/ XV दिनांकित 09. 05. 2022 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की आख्या दिनांकित 06. 05. 2022 के साथ प्राप्त हुआ । इस संबंध में अवगत कराना है कि श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की आख्या गलत व त्रुटिपूर्ण है, जो उन्होंने दबाववश अंकित किये हैं, जो निम्न आधारों पर गलत व त्रुटिपूर्ण हैः-

1. यह कि प्रशासनिक अधिकारी का यह कहना कि पत्र के साथ कोई संलग्नक नहीं है पूर्णतया असत्य, निराधार व बनावटी है, क्योंकि मेरे द्वारा दिनांक 05. 05. 2022 को अवमानना प्रार्थनापत्र 03 प्रतियों में मय संलग्नक प्रेषित किया गया था, जिसे श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने दिनांक 05. 05. 2022 को प्राप्त नहीं किया, यदि कोई संलग्नक संलग्न नहीं था तो श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी इस बावत अपनी आख्या अंकित कर वापस कर देते अथवा

मौखिक रूप से स्वयं भी अवगत करा सकते थे, किन्तु उन्होंने अवमानना प्रार्थनापत्र मय संलग्नक न तो वापस किया और न ही कोई पावती दी ।

2. यह कि श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का यह पदीय दायित्व है कि वह किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र आदि को प्राप्त करें और उचित आदेश हेतु श्रीमान जनपद न्यायाधीश / संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, किन्तु उन्होंने दिनांक 05. 05. 2022 को प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र को प्राप्त नहीं किया ।

3. यह कि श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने मेरे द्वारा पूर्व में प्रेषित कई पत्रों को भी प्राप्त नहीं किया । इस संबंध में मेरे द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को अपने पूर्व पत्रांकों में अवगत कराया जा चुका है और इस प्रकार जानकी प्रसाद की यह आख्या कि " उनकी झूठी शिकायत की गयी है । " चूँकि श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की प्रवृत्ति मेरे द्वारा प्रेषित पत्रों को प्राप्त करने की नहीं रही है । उक्त अवमानना प्रार्थनापत्र की पावती न देने और दिनांक 06. 05. 2022 को प्रेषित पत्र प्रशासनिक अधिकारी द्वारा न लेने पर मेरे द्वारा एक बन्द लिफाफा इसी तिथि पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को प्रेषित किया गया और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जिस पत्र को प्राप्त नहीं किया गया, उसकी मूल प्रति बन्द लिफाफे में प्रेषित पत्र के साथ संलग्न की गयी थी तथा प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु श्रीमान जनपद न्यायाधीश से निवेदन किया गया था ।

4. यह कि दिनांक 05. 05. 2022 को श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने अवमानना प्रार्थनापत्र को प्राप्त नहीं किया । इस संबंध में मेरे द्वारा संबंधित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से डाकबही पर उक्त पत्र का उल्लेख करने का मौखिक निर्देश दिया गया, जिस पर संबंधित कर्मचारी ने यह आख्या प्रस्तुत की कि " श्रीमान जी प्रशासनिक कार्यालय में डाक प्राप्त नहीं किया " और स्वयं मेरे द्वारा दिनांक 05. 05. 2022 को प्रेषित पत्रों की पावती न देने के बावत दिनांक 06. 05. 2022 को डाकबही में पृष्ठांकन किया गया ।

5. दिनांक 06. 05. 2022 को डाकबही के क्रम सं०- 1 पर एक पत्र पुनः प्रेषित किया गया, जिसका विषय दिनांक 05. 05. 2022 को प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र 03 प्रतियों की पावती प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रदान न किये जाने के संबंध में था, जिसे प्रशासनिक अधिकारी ने प्राप्त नहीं किया,

तत्पश्चात मेरे द्वारा क्रम सं०- 2 पर एक बंद लिफाफा मय पत्र श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को प्रेषित किया गया और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्राप्त न किये गये पत्र को भी इस पत्र के साथ संलग्न कर बंद लिफाफा में प्रेषित किया गया ।

तत्पश्चात श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने इस पत्र को दिनाँक 06. 05. 2022 को प्राप्त किया और जिसमें " बंद लिफाफा प्राप्त " का उल्लेख किया तथा इसी तिथि पर प्रशासनिक अधिकारी ने दिनाँक 05. 05. 2022 को प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र प्राप्त किया । इससे ज्ञात होता है कि श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने दिनाँक 05. 05. 2022 को प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र को जानबूझकर प्राप्त नहीं किया था ।

6. दिनाँक 09. 05. 2022 को अवमानना प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित न होने पर मेरे द्वारा दिनाँक 09. 05. 2022 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश को पत्र प्रेषित किया गया और पुनः अवमानना प्रार्थनापत्र को मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित किये जाने का निवेदन किया ।

7. दिनाँक 11. 05. 2022 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश को पत्र प्रेषित किया गया और पुनः अवमानना प्रार्थनापत्र को मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित किये जाने का निवेदन किया , लेकिन इस तिथि तक मा० उच्च न्यायालय को अग्रसारित पत्रांक की प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त नहीं करायी गयी ।

8. दिनाँक 12. 05. 2022 को समय लगभग 13:30 बजे उक्त अग्रसारित पत्रांक की प्रति मेरे न्यायालय में प्राप्त करायी गयी, जो मुझ अधोहस्ताक्षरी को आज दिनाँक 13. 05. 2022 को प्रातः काल में प्राप्त हुयी ।

9. जहाँ तक श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का यह कहना है कि उन पर दबाव दिये जाने के कारण उनके द्वारा बिना संलग्नक के पत्र प्राप्त किया गया पूर्णतया असत्य व निराधार है । वास्तविकता यह है कि श्री जानकी प्रसाद को समस्त संलग्नकों की प्रति प्रदान की गयी थी , यदि संलग्नक, अवमानना प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नहीं थे तो उक्त कर्मचारी इस तथ्य को दिनाँक 05. 05. 2022 को भी अवगत करा सकते थे , लेकिन उक्त कर्मचारी ने ऐसा कोई तथ्य अधोहस्ताक्षरी या उसके किसी कर्मचारी के संज्ञान में नहीं रखा । इससे स्पष्ट है कि उक्त कर्मचारी अपने दायित्वों से जानबूझकर बचना चाहता है ।

10. यह भी अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 30. 06. 2021 व दिनांक 30. 07. 2021 को किये गये आकस्मिक निरीक्षणों, जिन्हें श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा अवलोकित किया गया है, उन्हें प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मेरे न्यायालय में दिनांक 06. 04. 2022 को प्राप्त कराया गया ।

11. यह भी अवगत कराना है कि मेरे द्वारा माह दिसम्बर 2021 में किये गये त्रैमासिक निरीक्षण को श्रीमान जनपद न्यायाधीश से अवलोकित कराने के उपरान्त इस न्यायालय में अभी तक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा वापस प्रदान नहीं किया गया है ।

सूचना सादर सम्मान प्रेषित ।

भवदीय

दिनांक- 13. 05. 2022

~~१३.०५.२०२२~~
(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

वीरन्द्र विजय सिंह,
जिला नागार्हीश,
डॉसी।

संखा . ३०

महानेवन्द्यकं
पाननीय उच्च न्यायालयं
इत्तदावगाद ।

12-14 23.2.2010

पत्र रांध्या: ४४३ / SD

विषयःआज दिनेकां-23.2.2010 को प्रातः 11.00वजे से अमरावति 1.30 बजे के मध्य अधिकरक्ताओं के गुट द्वारा न्यायालय परिसार के अंदर, न्यायालयों व न्यायालय कक्षों में तोडफोड कर न्यायालय की सापत्ति को धूप पहुँचाने, न्यायिक कार्यवाही बाधित करने व न्यायालय की जवाबदाता को राम्रणा में।

भाष्य

महोदय,
उपरोक्त विधयक के सामने ने सादर जन्‌योग जरूरी है कि आवा-
दि-23.2.2010को प्राप्त लंगण 11.00वजे लंगण 100 अधिवक्ताओं का एक गुट श्री चन्द शेखर शुक्ला एड०, श्री सुरेश रोड़ी एड०, श्री पुष्पेंद्र रिहारिया एड०, श्री नृजोन्द निराम एड०, श्री प्रभोद कुमार विक्रम एड०, श्री देवीराज़ एड० एवं श्री प्रगोद कुमार निवाहरे एड० आदि के नेतृत्व में नारेनाथी न अगद शब्दों का प्रयोग करते हुए मेरे न्यायालय कक्ष में आया तथा मेरे न्यायालय में तैनात कोटि गुरुरेचर का-सा० श्री सन्‌तराम सिंह छीठन को खींच कर बरामदे में ले जा कर पारा गिरा। उपरोक्त अधिवक्ताओं के उक्त गुट ने मेरे न्यायालय कक्ष एवं परिषद् प्रशासनिक अधिकारी के कायाकलय के फर्जीचर, टाईपराईटर मरीन, फैक्स मरीन, दस्तावेज़, दस्तीफोन एवं लिफ्टकियों न में लगे कोई भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। उपरोक्त एवं अपर गुट न्यायालय भूमि का चढ़कर लगाते हुए हंगामा करते हुए विशेष न्यायाधीश (दिस्यु प्रगावित देत्र), विशेष न्यायाधीश गैरेस्टर एवं अपर जिला जज कदा सं० २, के न्यायालयों में सुना कर तोड़फोड़ किया तथा वादकारियों को डरा घग्गा कर दिया।

उक्त हंगामे से डर कर भाग गये। उपरोक्त तोडफोड के बाद अधिवक्तागण का उक्ता मुट्ट न्यायालय परिसर में स्थित नेवीन भवन में जा कर मूत्रल व प्रथम तल पर रिथ्यत कुछ न्यायालयों में तोडफोड किया और उसके पश्चात् मुख्य न्यायिक परिसर में आरेन्ट्रिक न्यायालय के परिसर में जा कर अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए नारेबाजी करते हुए हंगामा किया तथा पारिशारिक न्यायालय कक्ष में तोडफोड किया।

अधिवक्ताओं के उक्त आभर्यादित एवं आमाराधिक कृत्य के कारण पूरे न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी भव गई और न्यायालय कक्षों में उपस्थित न्यायिक अधिकारी भग्न, कर्मचारी भग्न एवं उपस्थित वादकारी भग्न गगकाच हो गए और लगभग सभी वादकारी न्यायालय परिसर से गाम गये, जिसके कारण पूरे दिन किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्य नहीं हो सका। गोडानोल की कार्यगारी के रामबाल अधिवक्ताओं का उक्त गृह न्यायपालिका व गेरे विलक्षण आदान-प्रदान कर रहा था।

अधिवक्ताओं के उपरोक्त कृत्य को देखता हुए गर मारी इराका राष्ट्रमा वारपन पुलिस अधीक्षक व जिलाप्रशारान को दी गई। जिस पर नारेष्ठ बुलेसा अधीक्षक व जिला एजिस्ट्रेट पुलिसबल के साथ न्यायालंय परिसार मे आये लसके बड़े गो अधिवक्ताओं के उक्त यूट ने नारेबाजी करते हुए उपदेश किया।

उपदेशी सुधिवक्तागण के न्यायालय परिसर से जाने के परवात में न्यायालय कहों व कानूनियों का निरीक्षण किया।

विभिन्न न्यायालयों व कानूनियों से अधिवक्तागण की उच्च अग्रदत्ता, तोड़फोड़ व अन्यादित आचरण से सामने पैदा हुए। एवं ऐसी निरीक्षण आख्या को इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थे प्रेषित किया जा रहा है।

उपरोक्त ले सम्बन्ध में गठ वी अवगत कराना है कि अधिवक्तागण के इसी गुट द्वारा पूर्व में भी न्यायालय परिसर में आदाद गवाहार, नारेवाजी आदि ली कार्यवाही की गई थी, जिसकी सूचना मेरे पूर्वानुकारी हुआ इस कानूनिय के पत्र सं-६६/एस०ए०ओ०/२००९ दिनोंकित-८.५.२००९ के आधार से मान०१० सम्बन्ध न्यायालय को प्रेषित की गई थी।

घटना की तिखित सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा दूकी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि दोषी अधिवक्तागण को न्यायालय सभ्य में न्यायालय कहों व कानूनियों भैं पुस्त कर तोड़फोड़ व अगादित आचरण करने एवं आपराधिक कृत्य कर न्यायिक कार्य पूर्णतः बाधित करने तथा न्यायालय की अवमनना करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर दिल्ली करने हेतु उनका तथा को मान०१० उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाने का कदम करें।

सादर।

दिनोंक-२३.२.२०१०

गवाहीय,

(नीर०८ निकान रिंड)
जिला न्यायाधीश
झाँसी।

संलग्नक-यथा उपरोक्त।

प्रतिलिपि: निजी सचिव, मान०१० प्रशासनिक न्यायमूर्ति (जनपद झाँसी) मान०१० उच्च मान०१० प्रशासनिक न्यायमूर्ति जी के राय द्वारा अवलोकनार्थे व अग्रेतर निर्देशार्थ रखने का कदम करें।

जिला न्यायाधीश,
झाँसी।

४/३२

प्रेषण,

श्रीमता श्रीमान् त. सु. ,
न्यायिक मणिस्ट्रोट,
क्षेत्र स०-७ बासी।

लेखा में,

मानुनीय जनपद न्यायालय,
बासी।

महोदय,

सर्विनय निवेदन है कि आज प्रातः १५.३० बजे
जब मैं न्यायालय कक्ष में न्यायिक कार्य सम्पादित कर रहे थे,
तब अपिकवक्ता गण चन्द्रशेखर इंद्रलाल, सुरेश सेना, कृष्ण-इ^०
निगम उपने साथा अन्य अन्नाते ४०-५० जिल्हाकर्मीगण को लेफ्ट
न्यायालय कक्ष में उपस्थित आये और घोर-घोर से चिल्ला कर
इसी माहीने पैदा रक्षा विधि वाद कार्ययों को छागा दिया
इस प्रकार न्यायिक कार्य सम्पादित नहीं। रक्षा विधि वाद

रिपोर्ट मानुनीय महोदय के सहा सूचनाएँ एवं
आवश्यक कार्यवाहा हैं तादर प्रेषण।

दिनांक- २३-२-२०१०

श्रीमता श्रीमान् त. सु. ,
न्यायिक मणिस्ट्रोट, क्षेत्र स०-७
बासी।

मुलाह,

टिलीप लुमारत्यान्,
न्यायिक अधिस्टेट
कडा स०-10 इति ।

सेवा मे०

माठ जन्मठ न्यायाधीश,
इति ।

महोदय,

महिमण निवेदन है कि आज दिनांक 23-2-10 को
मे० न्यायालय कडा मे० न्यायिक कार्य सम्माटित कर रहा था, तभी
तमय लहीब 11.45 बजे अधिकारी घन्द्रोहार रुक्ता, पुँगोट
रिवाहरे, हुच्चेन्ट रिठारिया एवं अन्य 30-40 अधिकारी गण एक
ताठा आये और नारे बाजी करते हुये न्यायालय मे० उपस्थित वाट
कारियों को डरा दामडा कर खींचीत कर आगा दिया और
पेशाकार तै फाईल छुक्कने का प्रयात्र किया । उक्त लोगों ने न्यायालय
कडा के टाईटिंग हेतु का काँच तोड़ दिया एवं कुरीया भी तोड़ दी ।
इससे न्यायिक कार्य मे० द्यवान हआ और न्यायिक कार्य सम्माटित
नहीं किया जा सका ।

आठवा मानुनीय महोदय को लुमाराहा एवं आवश्यक
वायवाई हेठु कुछित है ।

तादर ।

भवदीप

टिलीप लुमारत्यान् ।
न्यायिक अधिस्टेट, कडा स०-10
इति ।

दिनांक - 23-2-2010

प्रेषण,

राकेश त्रिपाठी,
अपर लॉयल पर्सनल फिल्म्स।
क्षा सं०४, अंगासो।

मेरा मैं,

भाजनीय जनपद न्यायालय महोदय,

जनपद-झासो।

किम्बः - न्यायिक कार्य तम्यादन में व्यवधान डाले के संबंधमें

महोदय,

उपरोक्त विषयक स-तम्यानपुर्वक निकेतन करना है।
जाज फिनार्क 23. 02. 2010 को समय 11.30 बजे तुलसी न्यायिक कार्य का तम्यादन कर रहा था एवं पत्राखतियों में पक्षालोगों के बावत आवाज लगायी गई रही थी तभी श्री युन्नेश्वर शुक्ला रुपरेखा, श्री देवी सिंह, रुपरेखा, श्री सुरेश सैनी व थी प्रभोद गिरहर, रुपरेखा, 15-20 अन्य अधिवक्ता गण के साथ न्यायालय में जोर-जोर से आवाज लगाते हुए मुस्त आये। न्याय में उपस्थित जादकारियों को ज्ञात्यक्षतो न्याय के बाहर निकाल दिया एवं अभद्र शब्दों का उपयोग करते हुए भय का माहौल पैदा करके न्यायिक कार्य में व्यवधान डाला।

अतः पत्र भाजनीय महोदय को वास्ते सुविनार्य रूप से उचित अदेशार्थ सावर प्रेषित है।

"स-तम्यान"

मवदीय

23 अप्र०

राकेश त्रिपाठी
अपर सिलिं जजसो. फि.
क्षा सं०४, अंगासो।

दिनांक 23. 2. 2010

ਪ੍ਰੇ ਹਵ,

ବ୍ୟାପକ ମହିନେ ଶିଖ,
ଏହି ମିଥିଲା ଜାତୀୟ ପରିଷଦ୍ ମାତ୍ର ।

लेखा ५,

માનવીય જનપદ ચ્યારેક્ટરિસ્ટ. ૧૯૭૩
દુસ્તી।

ମହୋଦପ,

सादर निवेदन करना है १० अगस्त २०१०-२३-०२-२०१०
को भै जब न्यायालय कल में लगभग ११-४५ बजे चारों काँपे

सम्यादित नर रही थी, तभी ओधितका थे ॥-खेत्र गुप्ता ॥१३॥

ਤੇਜ਼ੀਵਾਂ ਅਤੇ 20-25 ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆਤ ਮਨ = 50 ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਿ

આરે તથા બાદકારીયાંનો ભાા તેથા, જીએ નહોયન બાધે

॥ स व्याप्ति नहीं प्रत्या जा सका ।

अतः श्रीमानुजी की सेवा में जावर्यत तथा दीक्षा ही हेतु सादर

पुर्णिमा

“માદર”

दिनांक- 23.02.2010

ମେଲିଯା

५६० साँलनी सिंह
अपर विवेक जग्नुको ५७० लिएन
१३ रुप्त्वा-१२, साँले।

प्रेषक,

निःपत्ति निःपत्ति
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कड़ा संठिया-७, झज्जी।

सेवा मे.

मानवीय जिला-न्यायाधीश,
झज्जी।

महोदय,

सत्यानन्द निवेदन पूर्वक अवगत कराना है कि मानव दिनांक-
23. 2. 2010 को समय करीब 11:35 बजे आपवत् चन्द्र डेवर शुक्ता,
पुमोद गिरहरे, पुढेन्द्र रिया ता 7-9 अंचल अधिवत्तामण
न्यायालय भूमि तथा न्यायालय क्षेत्र में उपस्थित वारकारियों को
इरा-पमका कर आतंकित किया तथा अधीत कर न्यायालय क्षेत्र से भार
दिया। न्यायालय के दीर्घ छाटाई राईटर फैक्ट कर तोड़ दिया, कुर्सियाँ
होयत पर फैक्ट दी, जिससे डायल पर रड़ा गीरा टूट गया। कुर्सियाँ तोड़
दी तथा कुछ परावलियाँ फैक्ट दी, जिससे न्यायिक काय में वाधापहुँची
बृप्त न्यायालय की गारमा को छेस पहुँची है।

आज्ञा मानवीय महोदय की सेवा में सावर उचित बार-
हेतु
वाही/ऐजित है।

दिनांक- 23. 2. 2010

मददीया,
23/2/10
निःपत्ति निःपत्ति
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कड़ा संठिया-७, झज्जी।

देख

कृष्ण लुटार जी
सिंहल जाया नाम लिख
करो।

सेवा में

क्रान्तिकारी जनाद चापारामी, पुमोदप
लिखो।

पहोदा,

सादर असेहन गरना है जिसमें फैला-
23.02.2010 को पुरापुरामें लिखा गया जाएगा।

जोधपुरी चापारामी ने सार्वजनिक सभा की बाबत लिखे हैं।
तभी ग्रन्थिवक्ता श्री वन्देश्वर शुक्ला, एधेन्द्र जिंडाराम, पुमोद
ठाकरे, एवं जन्य 10-12 ग्रन्थिवक्ता-ज्ञान विद्वान् जन्यों ने प्रयोग
करते हुए, चापारामी लिखे हुए उन्हें तथा कान्तकारियों को भाव
दिया तथा चापारामी को जारी लिखा जाएगा। जो का
तौर-फौर दिया, जिसे चापारामी नार्थ सम्पादित नहीं किया जा
सकता।

प्रति: जानकारी के लिए गूढ़नामा एवं चापारामी-
शाही हेतु धेरापतले।

✓ २३.०२.२०१०

23.02.2010
जोधपुर रोड,
जोधपुर जूनार बाजार।

सेवा में

जनपद नामावली

द्वारा - उमरी किम्बारी

बारा, बिला-जूरी, झापा।

મહોનાની.

ਨਿਵਾਰ ਨਿਕੋਹ - ਦੇਖੋ 30॥ ਲੰਗਾਂ, ੧੩੨੦੦ ਵੱਡੀਆਂ
 ਕੁਝੀਂ ॥ ਜੇਹੇ ਦੀਨ ਭਾਖਕਵਾਗਣ ਕੀ ਤਿਕੋਣ੍ਹ ਕੁਝੁ ਨਿਵਾਰ, ਪੀਤੁਕੋਣ੍ਹ
 ਦੀ ਦਾਰੀਆ, ਅੀ ਪਸੰਦੁਸ਼ਮਾਂ ਸਿਆ, ਅੀ ਚੂਝੇਥਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਅੀ ਚੁਲੋਂਕੁਝੁ
 ਛਿਨਹੈਰੇ ਲੋਹ ਮਾਮ ਲਈ, ਪਾਗਾਂ ਗਣ ਦੀ ਹੋ ਹੋਰੇਹੁ ਚੁਪੈਲ ਦੀ ਦੇਖੀਆਂ

जितने के बाद वह अपनी जगती का नुस्खा लेकर दिल्ली
के एक बड़े बाजार में आया। वहाँ वह एक छोटी सी
घृणा के बाजार में आया। वहाँ वह एक छोटी सी
घृणा के बाजार में आया।

କାନ୍ତିର ପଦମୁଖ ଶିଳ୍ପୀ ହେଉଥିଲା ଏହାର ଅନ୍ଧାରୀ

प्राप्ति अनुसारी

न्यायालय पिंडी भूमि व्यापारीया एस०सी०एस०टी०एक्ट/अपर जन्र

न्यायालय डॉसी ।

जुष्टित - श्री उमेश घन्द शोरसत्य, एच०ज००एस०

जमानत प्रार्थनापत्र सं०-२३६/२०१०

घन्दशेखर शुक्ला.

सुरेश तेजी.

3-प्रतिपाल रोनी— यनाम — सरकार

जमानत प्रार्थनापत्र सं०-२८०/२०१०

राजेन्द्र खरे — यनाम — सरकार

जमानत प्रार्थनापत्र सं०-२७३/२०१०

प्रसोद शिवहरे — यनाम — सरकार

धारा- 147,148,149,352,440,332,307,308,353 / 34 माद०सं०

3/4लो०साप्तिकाति निवारण अधिनिधम : 7 कि०

जॉ एनेन्डनेंट एक्ट

थाना- नवागांव, जिला-डॉसी

अपराध स०-८५/२०१०

आदेश

उपरोक्त वर्णित तीनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध संख्या से उल्लंघित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ एक ही आदेश से किया जारहा तथा यह आदेश जमानत प्रार्थनापत्र सं०-२३६/२०१० में पारित किया जा रहा

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर उनके अधियक्षतागण एवं लाभ्य की ओर लोक अभियोजक के तर्क सुने हैं तथा अभिलेख का परिशीलन किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनांक 23-2-2010 को पृष्ठान्तर से 11-15को पुलिस कन्द्रोललप ने प्राप्त सूचना के आधार पर श्री रामलखन, सरोज प्रभारी। इधाका थाना- नवागांव, जिला डॉसी दीवानी न्यायालय परिसर डॉसी व अत्ये तथा वार्ड नं० २३६ के द्वारा दिनांक 23-2-2010 के दौरान अप्रैल तथा अगस्त 2010 में दोनों हाथ में लेहर हुगामा वर्ते हुए न्यायालय का में दो दोष न्यायिक तथा मुहरिर पर हमला कर दिया। न्यायालय दोष की कुसिंयों डायर्ट का टॉडफोड सन्तरा तथा मृत्यु कारित करने के आशय से न्यायालय के कोर्ट मुहरिर श्री तोड डाला तथा मृत्यु कारित करने के आशय से न्यायालय के कोर्ट मुहरिर श्री होकर हुगामा कर तोडफोड कर न्यायिक कार्य यादित किया। तथा जान से मारने की धमयी दी जिससे न्यायालय परिसर में अफरातफरी भय गई तथा न्यायालय में

कार्यरत व्यापारियों की एवं व्यापारियों व्यापक लाई होड़कर जान गये के लिए विश्राम बहा में चले गए। उभा पट्टा के दीर्घन घटनास्थल से अग्रियुक्तागत घन्दशेखर शुभला, सुरेश सीरी, प्रतिपालसोनी, राजेन्द्र खान को जीके से गिरफ्तार किया यथा जन कि गोप भाग गए।

भी रामलखण सरोज की उत्तरोक्ता रिपोर्ट के आधार पर निपोर्ट व
वर्णित अवित्तनोकेविसन्द भारा 147, 148, 149, 352, 440, 332, 307, 308, 351 / 34 औटूटरो
3 / 4 स्लो-स्लोलेस्टि नियाम अस्थायी ही गिरा ती एक्स्ट्रां जाट के
अन्तर्गत उत्तरोक्त विषयावाक यही विषयावा लाभ है।

अभियोग पंजीकृत होने के बाद इरी घटना के संबंध में प्रभारी निरीक्षक थाना-नवाबाद को अभियोग पंजीकृत कराने का कोई अधिकार नहीं था। अधिवक्ता का तर्क है कि प्रभारी निरीक्षक नवाबाद-अरेस्टिंग अधिकारी है जिन्होंने भौके से चार अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया है। अतः ये घटना के बादी नहीं हो सकती। विहान अधिवक्ता का कहना है कि प्रभारी निरीक्षक ने अधिवक्तागण को परेशान करने के लिए उनके विलम्ब गुटीं रिपोर्ट फूर्ज, कराई विवाद अधिवक्ता को यह भी तर्क है कि प्रभारी निरीक्षक द्वारा अभियुक्तगण के विवाद नाम से रिपोर्ट पंजीकृत नहाना रिपोर्ट की निश्चतनीयता को भंग करता है वयों कि उन्होंने अभियुक्तगण का नाम नहीं हो सकता था।

‘अभियुक्तम्’ के १००४ अधिवक्ता का रहा है जो अशेष घटना के एक १०८ पूर्व जिलः भगवान्धेश के न्यायालय में कार्यकरता थी। और उस पुनिः कर्मी ने न्यायालय कक्ष में अभियुक्त ब्रह्मोद बुद्धर जी के द्वारा उनके कारण उनसे अग्रद जावहार बिधा जा दिया गया था। इसका अधिकार विद्यालय के दिन अधिवक्तागण का समूह जा रहे थे कि उन्हें गैल्व राज दिव्यालय तथा इस गीथ उक्त शास्त्र में गुप्त असाक्षात्क्रिय तत्त्व पुस गद अन्होने न्यायालय कक्ष में घुस कर लड़फोड़ दिया। न कि वर्तमान विद्युक्तगण ने। विद्वानअधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रथम सूत्राः रिपोर्ट नामित कोई भी अभियुक्त या आच्य चरिता पठना के समय फिरी धातक हथिर से सञ्जित नहीं थे ताकि उनके विस्तु धारा-३०७, ३०८ भाठद०सं० का मानलः इन सके। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि किंकरित पठना में किसी भी अभियुक्त का कोई विशिष्ट शोल नहीं दर्शाया गया है वल्कि सामान्य आरोप लगाये गए हैं। विद्वान

व्यायालय
जिला एवं सत्र
व्यायाधीश, झारसी
(उत्तर प्रदेश)

अधियक्ता का कहना है कि अभियुक्तगण दिनांक 23-2-2010 से जोल में निरुद्ध है तथा उनके जेल में रहने के कारण उनके यादकारियों को काफी नुस्खान हो रहा है। इसी विस्तार से उनको परिवार को भी कठोर हो रहा है। अभियुक्तगण की गति विशेषज्ञ है। अभियुक्तगण की गति अप्रत्यक्ष अभियुक्तगण की गति विशेषज्ञ है। अतः उन्हें जब जमानत पर उपता कर दिया जाये।

अभियुक्त प्रमोद शिवहरे को विद्वान् अधियक्ता का तार्क है कि यह दिनांक 24-2-2010 से 11-3-2010 तक जेल रहने व्यायालय परिसर से गिरफतार किया गया ताकि विभिन्न व्यायामों में चर्चा करते रहे, जो इस बात का गुरुत्व देते हैं कि यह घटना में संलिप्त नहीं थे तथा उन्हें जानवृद्धाकर झूठा फ़सागा गया है।

विद्वान् लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थनापत्र का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्तगण को भावनात्मक तर्कों पर नहीं वल्कि तथ्यात्मक तर्कों पर जमानत की भींग करती थाहिए। लोक अभियोजक प्रमोद शिवहरे को विलम्ब से गिरफतार करने के कारण वह जमानत पात्र नहीं हो सकते। लोक अभियोजक का यह भी तर्क है कि कठित अपराध अधियोजक के एक गड़े रामूँ डियम एली/अभियुक्तगण रामियिल द्वारा करारित किया गया है। अतप्रत्यक्ष अभियुक्त जेल में यह जमानता सम्म भड़े हैं कि उस का घटना में वया रहा था। विद्वान् अधिकारीय एवं विद्वान् कमीशीरण से पूछपौछ की गई था सभी ने अपने व्यान में कठित घटना की पुष्टि करते हुए इस में अभियुक्तगण की संलिप्तता बतलाई है जिसके कारण अभियुक्तगण जमानत के पात्र नहीं हैं।

किसी अपराध की गम्भीरता का आंकलन उसकी प्रकृति के आधार पर नहीं वल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि अपराध किस व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है। एक पंक्तिखं और जिम्मेदार व्यक्तियों से एक अनपढ़ व्यक्ति की घटना में अधिक अपेक्षाये होती है। वर्णित घटना के अनुसार देनांक 23-2-2010 को द्वारा-ह 11-15 बजे किंवा व्यायिक अधिकारी की अदालतों कार्य कर रही थी अधिकतोगण के एक समूह ने, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्तगणभी सम्मिलित थे, नारंदेजी वरते हुए जिला व्यायोधीश के व्यायालय कक्ष में जाकर कोट मुहरिर को मारापीटा तथा हिँड़की दख्खायी तथा इनके कोंच को तोड़ा तथा हँगामा किया। तत्पश्चात व्यायालय कक्ष से लगे विशेष प्रशासनिक अधिकारी के कक्ष में घुराना दाढ़गाराइटर, फैजस व टेलीफोन संत तोड़ा तत्पश्चात उक्त सनूह

— ३०३२०१३ जून २०१३ —

(१६२५ स२४)

मुद्रित 'द्वितीयांशु'

१२ फ्ट १५५

(८/४९)

किंवदन्ति विद्यालय के अधिकारी ने इसका अधिकार एवं उपर्युक्त विधियों के अनुसार विद्यालय की संचालन एवं नियन्त्रण का अधिकार लिया है। इसका अधिकारी विद्यालय की संचालन एवं नियन्त्रण का अधिकार लिया है। इसका अधिकारी विद्यालय की संचालन एवं नियन्त्रण का अधिकार लिया है।

जमानत वाला ने कहा कि उसका अधिकारी ने इस बात को दर्शाया है कि जमानत प्रार्थनापत्र में वर्णित संख्याएँ न बदली जाएँ। यह 3/100 वर्षों के अन्तरांत कोई गमनता नहीं है। अतः अभियुक्तपत्र का विस्तृत वर्णन यह जारी की जाएगी।

जनानंत प्रार्थनापत्र तदनुसार अधिकृत किया जाताहै।

जनानंत्र प्राथनापत्र संख्या ३
द्वारा दी एक वर्ष पूरे जनानंत्र प्राथनापत्र संख्या ३०-२००/१०१०

273 / 2010 १०८ नाम

३०७

प्रिया गार्डियन एररीएसटी एवं

ज्ञानसत्र न्यायाधीश डॉसी

29-3-2010



ग्रन्थ प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपि
कृष्ण एवं यश सामाजिक, वाच

टोप-10 अपराधी की सूची, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी

क्र.ना	टोप-10 अपराधियों के नाम व. पता	अपराधिक इतिहास का विवरण		विचारालीन आकार की अवधान
		अ.सं.	घारा	
१	नवाबाद उच्च गेलर गुप्ता हुतः कुच विहारी नि. तहसील के पीछे, नवाबाद, झाँसी	५३१/९१	३ यूपी गुप्ता एक्ट	
२		५८१/९१	३ यूपी गुप्ता एक्ट नवाबाद	
३		७३८/९२	४२०/४६७/४६८/३५३ भाद्रविनवाबाद	
४		७६८/९२	४२०,४६७,४६८,४७१,५०५ भाद्रवि.	
५		३९२/९२	३२५,१८४,३५३ भाद्रवि. मरुरामपुर	
६		९/९३	५०६ भाद्रवि. नवाबाद	
७		६४९/९७	४२०,४६७,४६८,४७१ भाद्रवि.	
८		७३/९३	१४१,४६८,४७१ भाद्रवि.	
९		७७/९७	२५ आम्स एक्ट बज्जा सागर	
१०		१८६/९८	१८८ आम्स एक्ट	
११		१८१३/९९	३८७,५०४,५०८ भाद्रवि.	
१२		१८१०/९९	२५ आम्स एक्ट	
१३		१७४९/९९	१४७,१४८,५०४,५०६ भाद्रवि.	
१४		५२२/०९	३०७ भाद्रवि. सीफरी बाजार	
१५		२३७/९९	३५३,५०४,५०८ भाद्रवि. कातवाली, भलोबा	
१६		२०/२०००	२/३ गैंग एक्ट	
१७		८१/२०००	११० दप्रसं	
१८		७६९/०२	१४७,१४८,१४९,३०७,५०४ भाद्रवि.	
१९		२६८/०५	३२३,५०४,५०६,२८६ भाद्रवि. सक्कर	
२०		८६९/०६	१४७,३४२,३६४ भाद्रवि. ७ क्लिल० एक्ट	
२१		११२२/०७	४४७,४४८,५०६ भाद्रवि. सीफरी बाजार	
२२		७४६/०७	३२३,५०४,५०६ भाद्रवि. नवाबाद	
२३		१८३३/०७	४४७,४४८,४६७,४७१,५०६ भाद्रवि.	
२४		१८३४/०७	४४७,४४८,४६७,४७१,५०६ भाद्रवि.	
२५		१८३५/०७	४४७,४४८,४६७,४७१,५०६ भाद्रवि.	
२६		८१४/०९	१४७,३२३,५०४,५०६,३५३ भाद्रवि.	
२७		८७८/९२	३ यूपी गुप्ता एक्ट	
२८		८४/१०	१४७,१४८,१४९,३५२,४४०,३२३,३३२,३०७,३० ८,३५३,३४१ भाद्रवि. ३/४ लोक सम्पत्ति आदि.	
२९		८५/१०	१४७,१४८,१४९,३५२,४४०,३२३,३३२,३०७,३० ८,३५३,३४१ भाद्रवि. ३/४ लोक सम्पत्ति आदि.	
३०		८६/१०	१४७,१४८,१४९,३५२,४४०,३२३,३३२,३०७,३० ८,३५३,३४१ भाद्रवि. ३/४ लोक सम्पत्ति आदि.	
३१		१८९/१०	२/३ गैंग एक्ट	
३२		५३१/९१	३ यूपी गुप्ता एक्ट	
३३		५८१/९१	३ यूपी गुप्ता एक्ट नवाबाद	
३४		७३८/९२	४२०/४६७/४६८/३५३ भाद्रवि. नवाबाद	
३५		७८७/९२	३ यूपी गुप्ता एक्ट नवाबाद	
३६		६६७/९७	२५/३० ए एक्ट बज्जा सामर	

✓ 274/82	332/358/504/506 भादवि थाना कोतो महोबा	
✓ 23/84	386 भादवि व 10/12 सीआरपीसी	
✓ 39/84	386 भादवि व 10/12 सीआरपीसी	
✓ 415/88	25 ए एक्ट महोबा	
✓ 416/88	20 पनडीपीएस एक्ट महोबा	
✓ 731/79	323/504/506 भादवि महोबा	
✓ एनसीआर		
✓ 30/89	279/337/338 भादवि हमीरपुर	
✓ 366/81	506 भादवि महोबा	
✓ 08/82	162/384/420 भादवि महोबा	
✓ 107/80	142/145/147/436/506 भादवि महोबा	
✓ 202/82	352/504/506 भादवि महोबा	
✓ 89/82	323/504/506 भादवि महोबा	
✓ एनसीआर		
✓ 249/82	3 यूपीयुप्ला कोतो महोबा	
✓ 205/83	506 भादवि महोबा	
✓ एनसीआर		
✓ 1811/99	25 ए एक्ट नवाबाद	
✓ 67से89/	25/27/30 ए एक्ट	
✓ 536/91	395/307 भादवि थाना च०प्र०	
✓ 341/79	323/504/506 भादवि महोबा	
✓ एनसीआर		
✓ 5/93	506 भादवि महोबा	
✓ 81/2	110 सीआरपीसी	
✓ 48/16	376 डी.5.6 भादवि व 3(2) 5 एसीएसटी एक्ट महिला थाना झाँसी	

Court No. - 55

Case :- CONTEMPT APPLICATION (CRIMINAL) No. - 8 of 2010

Petitioner :- In Re:

Respondent :- Sri Chandra Shekhar Shukla And 6 Others

Petitioner Counsel :- Aga

Respondent Counsel :- Ajal Krishna,I.M.Khan,R.L.Shukla

Hon'ble Mrs. Poonam Srivastava,J.

Hon'ble Yogesh Chandra Gupta,J.

Heard Sri M.I.Khan, Sri Ajal Krishna and Sri Rajiv Prasad holding brief of Sri Rajeev Lochan Shukla on behalf of the respondents. An affidavit has been preferred on 9.9.2010 by the opposite parties tendering unconditional apology as well as that they will not commit any act in future lowering the dignity and magesty of any Court. Beside that it was brought to our notice that criminal proceedings have been drawn against the opposite parties and for a considerable period they remained in jail and now they are bailed out. In these circumstances, we accept the apology and discharge the contempt notice against the opposite parties.

The Contempt petition is disposed of accordingly. Record may be consigned.

Order Date :- 27.9.2010

Zh

विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

- सेवा में
1. श्रीमान अधिकारी
बार एसोशिएशन झाँसी।
 2. श्रीमान सचिव
बार एसोशिएशन झाँसी।

विषय:- जिला अधिवक्ता संघ झाँसी उ०प्र० के नाम से तथा कथित कुछ अधिवक्ताओं द्वारा मा० प्रशासनिक न्यायमूर्ति मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद उ०प्र० प्रयागराज को प्रेषित शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न अधिवक्ताओं के हस्ताक्षरों के बावत उनकी पत्रावलियों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

सादर अवगत कराना है कि जिला अधिवक्ता संघ झाँसी उ०प्र० के नाम से तथा कथित कुछ अधिवक्ताओं द्वारा मा० प्रशासनिक न्यायमूर्ति मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद उ०प्र० प्रयागराज को झूठी शिकायत प्रेषित की गयी है, जिनमें से अधिकाशं अधिवक्तागण न तो मेरे न्यायालय में आते हैं, और न ही मैंने उनको अपने न्यायालय में कार्य करते हुए देखा है। उक्त शिकायती प्रार्थनापत्र के बावत मुझे अपना स्पष्टीकरण अविलम्ब प्रस्तुत करना है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न सूची में वर्णित समस्त विद्वान अधिवक्ताओं की मेरे न्यायालय में विचाराधीन पत्रावलियों के बावत विवरण दिनांक 26. 11. 2021 तक उपलब्ध करने की कृपा करें। साथ ही यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि क्या उक्त शिकायती प्रार्थनापत्र आपके द्वारा प्रेषित किया गया है।

भवदीय



२५.११.२०२१
(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 25. 11. 2021

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

सेवा में,

विमल प्रकाश आर्य

अपर जिला एवं सन् न्यायाधीश (F.T.C.) झाँसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 25.11.2021 के संदर्भ में आपको
अवगत करा रहा हूं कि मेरे द्वारा आपके विरुद्ध कोई शिकायती
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिन अधिवक्ताओं की पत्रावलियां
आपके न्यायालय में विचाराधीन हैं वह मेरे संज्ञान में नहीं हैं।

भवदीय

उदय राजपूत

अध्यक्ष

जिला अधिवक्ता संघ झाँसी।

उदय राजपूत एडफेक्ट

जिला अधिवक्ता संघ, झाँसी

छोटेलाल वर्मा

सचिव/महामंत्री

जिला अधिवक्ता संघ झाँसी।

छोटेलाल वर्मा

सचिव

जिला अधिवक्ता संघ, झाँसी

(पंचन्द्रशखर शुक्ला)
अधिवक्ता
श्रीजोगम० कैर्ट कमाउण्ड, झाँसी (उत्तर
कोड नं०-1289
पंजीयन संख्या-५७३९/८९
पो नं०-९४१५५०२२१९

न्यायालय श्रीमान् जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झाँसी
सन् २०२१

अन्तरण प्रार्थना पन्त्र स०- ४११ सन् २०२१
ग्राम पन्त्रालय

अन्तरण प्रार्थना पनत्र स०- 411 ११२२

दारा सिंह पुत्र बृन्दावन सिंह आयु 30 वर्ष निवासी- ग्राम पुनावली कला थाना
रक्सा जिला झौंसी।प्रार्थी

बलाम

- 1- उत्तर प्रदेश सरकार
2- अमान पुत्र मुलू निवासी ग्राम पुनावलीकला रक्सा थाना रक्सा जिला झौसी
उपरोक्त दोनों घटनाएँ दोनों घटनाएँ दोनों घटनाएँ

Copy of Order dated 20/11/21

Called OUT. Applicant's counsel present.
Let copy of the application FA be sent
to the office of Court concerned for
eliciting his comments / report to Sealed
महाराजा,

(Cover, for 30/11/21)

यह अन्तरण प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

91-
(5.5)

01- यह कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें में अभियोजन साक्षी है और प्रार्थी का भाइ कल्याण सिंह वादी है।

02— यह कि पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य ने प्रार्थी को दिनांक 08.10.2021 को अपने चैम्बर में बुलाकर बोले कि तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानते हो। मैं वादी और गवाहो को भी सजा कर देता हूँ तुम लोग दो लाख रुपये की व्यवस्था करो नहीं तो जेल जाने को तैयार हो जाओ।

03— यह कि मैंने हाथ जोड़कर कहा मैं गरीब किसान हूँ मेरे पास रूपये नहीं है “मैंने क्या गुनाह किया है” मैं तो गवाह हूँ तो मुझे मां बहिन की गालियां देने लगे और बोले तू बड़ा गवाह बनता हैं, और तेरा वकील बहुत बड़ा नेता हैं, मैं तुझे व तेरे नेता वकील को जेल में डलवा दूँगा। नहीं तो जमीन या मकान बेचकर रूपये का इन्तजाम कर लो ।

Copy or order forwarded to ASI/FTC-II, Jh
for information & Necessary Action

and report by ३०/१/२। जबकि मेरी कोई गलती नहीं थीं मैंने गिरफ्तारी वारण्ट वापस कराया मुझे देर शाम तक बैठाये रखा और मुझसे कहा तुम अपने वकील के खिलाफ शिकायत करो ऐसे — — — भौ — — — थीं और हैं विनीहीं —

By Order अनुहोने मुझे परेशान करने के लिए एक नोटिस भेज दिया जिसकी छायाप्रति

Sadar Mansarovar Se साधा रथ से संलग्न है।
क्रमांक ४८
३०५ (१८८०)

दारासिंह

1/19

B/49

.....2....

05— यह कि जज साहब ने मुझसे यह भी कहा अब मै रूपये लेकर अमान आदि को बरी कर दूँगा, और तुम्हे सजा कर दूँगा। मुझे श्री विमल प्रकाश आर्य से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

प्रार्थना

अतः महोदय से प्रार्थना है कि अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0— 2 पीठासीन अधिकारी विमल प्रकाश आर्य के न्यायालय से सत्र परीक्षण स0— 169/2017 धारा— 323, 307, 504 आई0पी0सी0 व अ0स0— 253/2016 थाना रक्सा सरकार बनाम अमान आदि को किसी अन्य न्यायलय में अन्तरित करने की कृपा करें। जिससे प्रार्थी को न्याय मिल सके।

दिनांक— 10.11.2021

प्रार्थी

दारा सिंह पुत्र बृन्दावन सिंह
निवासी— ग्राम पुनावली कला थाना
रक्सा जिला झौंसी।



५० चन्द्रशेखर शुक्ल
अधिवक्ता
०१०८० कोटि क्रमाउण्ड, झासी (उपरी)
कॉड नं-१२८९
पंजीयन संख्या-५४३९/८९
मो० नं-९४१५५०२२१९

न्यायालय श्रीमान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झाँसी

अन्तरण प्रार्थना पत्र सं०— ४१२ सन् २०२१

- 1— महेन्द्र कुमार वर्मा उपर्युक्त वर्ष 35 वर्ष निवासी—
ओमशान्ति नगर, थाना कोतवाली झौंसी उठप्र०।

2— डालचन्द्र वर्मा उपर्युक्त वर्ष 45 वर्ष निवासी— महावीरनपुरा
नगरा थाना प्रेमनगर जिला झौंसी।

बनाय

- 1— उत्तर प्रदेश सरकार
 2— हरप्रसाद दमेलिया पुत्र स्व० श्री हल्केराम दमेलिया निवासी— 1289 जूनियर
 हाई स्कूल के पास खजुरखाग रोड नई वस्ती थाना कोतवाली जिला झौसी उप्र०।

Called Out. Counsel for the applicant's present. Let copy of the complaint be sent to P.O. of the Court concerned to elicit his श्रीमान् जी comment/reports in यह अन्तरण प्र
trial case.

अन्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 408 द०प्र०स०

सम्बन्धित थाना— नबाबाद जिला झॉसी।

नियत दिनांक— 12.11.2021

पूर्व नियत पूर्व नियत
पूर्व नियत पूर्व नियत

५१- दिनांक 11.01.2021 को मुझे अपने चैम्बर में बुलाया और कहा कि मेरी पत्ती से

(५४) मेरा झगड़ा चल रहा है वह मेरे साथ रहती नहीं है मैं परेशान रहता हूँ। इसलिए
तुम मुझे आर्मी कैप्टीन से अच्छी क्वालिटी की शराब व एक सुन्दर कन्या की
व्यवस्था करो। नहीं तो मैं तुम लोगों को किसी बहाने जेल भेज दूँगा और तुम्हारे
जमानते निरस्त कर दूँगा। मैंने जब मना कर दिया तो उन्होंने मुझे परेशान किया
पत्रावली को चैम्बर में रख लिया।

2— यह कि पीठासीन अधिकारी ने मुझसे यह भी कहा कि तुम अपना वकील

बदल लो और जो मैं कहूँ वह पूरा कर दो मैं नहीं तो तुम लोगों को इस केस में

सजा कर दूंगा।

3— यह कि पीटासीन अधिकारी ने मुझे यह भी धमकी दी है कि मैं बिना ऊपरा

लिये या बड़ी गिफ्ट लिये कोई काम नहीं करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने जिन

~~Sadar Munsarai / Sessions Clerk
Sessions Judge
Riarsi (U.P.)~~

81⁹-3 cyclic

8/51 1/21